

नियम 150 : पुलिस द्वारा सहायता

उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, मांग सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा।
